

प्रेषक:- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
टिहरी गढवाल, नई टिहरी।

सेवामें,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

पत्रांक/प्रा0शि0-2/ 581 / नियुक्ति/2022-23, दिनांक 29 अप्रैल 2022

विषय:- विभागीय वेबसाईट www.schooleducation.uk.gov.in पर नियुक्ति आदेश अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक: प्रा0शि0-दो(2)/419(II)-2020/6118-21/2021-22 दिनांक 14 सितम्बर 2021 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में इस कार्यालय के आदेश संख्या: प्रा0शि0-2/970/विज्ञप्ति/2018-19 दिनांक 06 मार्च 2019 एवं आदेश संख्या: प्रा0शि0-2/558/विज्ञप्ति/2020-21 दिनांक 19 नवम्बर 2020 एवं यथासंशोधित के द्वारा उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012 एवं यथासंशोधित सेवा नियमावली में निहित प्राविधानों के अधीन जनपद टिहरी के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक प्राथमिक (वेतनमान 35400-112400, लेवल-6) के अनु0 जाति बैकलॉग 2019 एवं सीधी भर्ती 2020 के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चतुर्थ प्रतीक्षा सूची में अर्ह अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश निर्गत किये गये हैं।

अतः चयनित सहायक अध्यापकों के नियुक्ति आदेश विभागीय वेबसाईट www.schooleducation.uk.gov.in पर अपलोड (प्रदर्शित) करने की कृपा कीजिएगा।

संलग्न:- 1. नियुक्ति आदेश संख्या- 104, दिनांक 29 अप्रैल 2022 (बैकलॉग)।

2. नियुक्ति आदेश संख्या- 105, दिनांक 29 अप्रैल 2022 (सीधी भर्ती)।

भवदीय

(अनी नाथ)

प्र0 जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
टिहरी गढवाल, नई टिहरी।

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) टिहरी गढ़वाल।

आदेश संख्या: प्रा.शि.-2/ 104 / बैकलॉग चतुर्थ प्रतीक्षा सूची/नियु./2022-23 दिनांक 29 अप्रैल 2022

::नियुक्ति आदेश::

निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा.शि.-दो (2)/19061-75/148(18)/2018-19, दिनांक 14 दिसम्बर 2018 के क्रम में उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 एवं उत्तराखण्ड राजकीय प्राथमिक शिक्षा (अध्यापक) (पंचम संशोधन) सेवा नियमावली-2018 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत इस कार्यालय के आदेश संख्या: प्रा.शि.-2 /970/विज्ञप्ति/2018-19, दिनांक 06 मार्च, 2019 एवं संशोधित आदेश संख्या: प्रा.शि.-2 /177/विज्ञप्ति/संशो./2019-20, दिनांक 01 जून, 2019 के द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति के सापेक्ष राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक बैकलॉग के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: प्रा.शि.-दो (2)/419 (II)-2020/6118-21/2021-2022, दिनांक 14 सितम्बर, 2021 के द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनोपरान्त द्विवर्षीय डिप्लोमा डी.एल.एड./बी.टी.सी. तथा बी.एड. एवं सी.टी.ई.टी./यू.टी.ई.टी.-1 उत्तीर्ण अनन्तिम रूप से अनु० जाति बैकलॉग चतुर्थ प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-07 में अंकित राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक वेतनमान रू० 35400-112400 लेवल-06 के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या - 903/2019 एवं रिट याचिका संख्या-350/एस.एस./2021 नन्दन सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं याचिका संख्या: 2292/2018 (एस०एस०) विनय कुमार व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक (बी.एड.)/शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) किन्तु इस प्रकार कक्षा I से V तक पढाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त अभ्यर्थी को दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 06 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। उक्त छः माह का प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त ही नियमानुसार वार्षिक वेतनवृद्धि देय होगी। निर्धारित अर्हतायें पूर्ण न किये जाने की दशा में सेवायें समाप्त कर दी जायेगी। नियुक्त अभ्यर्थियों के मूल शैक्षिक अभिलेखों एवं जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन तथा वैधता सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी द्वारा अभिलेखों के निर्गमन करने वाली संस्थाओं से कराया जायेगा। सत्यापन में भिन्नता पाये जाने अथवा प्रमाण पत्रों के फर्जी पाये जाने की दशा में अभ्यर्थी की नियुक्ति तत्काल निरस्त कर दी जायेगी तथा सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए विधिक कार्यवाही की जायेगी। नव नियुक्त अध्यापक/अध्यापिका को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी हैं। नियुक्त अध्यापक/अध्यापिका को उनके आवंटित विद्यालय में 10 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में सम्बन्धित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	गृह जनपद	जन्मतिथि	जाति	आवंटित विद्यालय का नाम	विकासखण्ड	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सुनील कुमार	राम प्रसाद	बागेश्वर	02-10-72	SC	रा०प्रा०वि० गेंवाली थाती	भिलंगना	रिक्त पद के प्रति
2	सुनीता	सुरेन्द्र राम	चमोली	05-08-85	SC	रा०प्रा०वि० मुस्मोला	कीर्तिनगर	रिक्त पद के प्रति

(अनी नारायण)
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.)
टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।

पृ.सं.प्रा.शि.-2/ 563-71 / बैकलॉग चतुर्थ प्रतीक्षा सूची/नियु./2022-23, दिनांक उक्तवत ।
प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून ।
3. अपर शिक्षा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी ।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर ।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी नई टिहरी/देवप्रयाग/घनसाली, टि0ग0 ।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल ।
7. सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी को इस आशय से कि वे अपने विकासखण्ड से सम्बन्धित नियुक्त अध्यापक/अध्यापिका के समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण, जाति प्रमाण पत्र व अन्य प्रमाण-पत्रों का सत्यापन तथा उनकी वैधता दो वर्ष के परिवीक्षा काल के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र निर्गत करने वाली संस्थाओं/कार्यालय से अनिवार्य रूप से करवाने के उपरान्त सत्यापित प्रमाण-पत्रों का विवरण इस कार्यालय को उपलब्ध करायें ।
8. प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका सम्बन्धित विद्यालय ।
9. सम्बन्धित अध्यापक को इस आशय के साथ कि अपने शैक्षिक प्रमाण पत्रों, प्रशिक्षण योग्यता प्रमाण पत्र, टी.ई.टी.प्रथम उत्तीर्ण, आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र एवं स्वस्थता प्रमाण पत्र के दो-दो सैट सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कर उप शिक्षा अधिकारी की अनुमति के उपरान्त ही सम्बन्धित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर उक्त अभिलेखों का एक सैट विद्यालय में जमा करने होंगे । प्रमाण पत्रों में भिन्नता पाये जाने अथवा त्रुटि पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी । निर्धारित समायान्तर्गत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा ।
10. कार्यालय गार्ड फाईल ।

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.)
टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी ।


कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) टिहरी गढवाल।

आदेश संख्या: प्रा.शि.-2/105 /सीधी भर्ती चतुर्थ प्रतीक्षा सूची/नियुक्ति/2022-23 दिनांक 29 अप्रैल 2022

::नियुक्ति आदेश::

निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा.शि.-दो (2)/419-2019/9950-53/2020-2021, दिनांक 09 नवम्बर, 2020 के क्रम में उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 एवं यथा संशोधित में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत इस कार्यालय के आदेश संख्या: प्रा.शि.-2 /558/विज्ञप्ति /2020-2021, दिनांक 19 नवम्बर, 2020 एवं संशोधित आदेश संख्या: प्रा.शि.-2 /686/विज्ञप्ति/2020-2021, दिनांक 01 जनवरी, 2021 के द्वारा सहायक अध्यापक प्रा0वि0 के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु संशोधित विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी थी, उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: प्रा.शि.-दो (2)/419 (II)-2020/6118-21/2021-2022, दिनांक 14 सितम्बर, 2021 के द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनोपरान्त द्विवर्षीय डिप्लोमा डी.एल.एड./बी.टी.सी. तथा बी.एड. एवं सी.टी.ई.टी./यू.टी.ई.टी.-1 उत्तीर्ण अनन्तिम रूप से चतुर्थ प्रतीक्षा सूची में सीधी भर्ती के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-07 में अंकित राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक वेतनमान रु 35400-112400 लेवल-06 के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-903/2019 एवं रिट याचिका संख्या-350/एस.एस./2021 नन्दन सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं याचिका संख्या: 2292/2018 (एस0एस0) विनय कुमार व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-423/एस0बी0/2021, रिट याचिका संख्या-419/एस0एस0/2021, याचिका संख्या-420/एस0बी0/2021, याचिका संख्या-424/एस0बी0/2021 एवं रिट याचिका संख्या-420/एस0बी0/2021, में माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक (बी.एड.)/शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) किन्तु इस प्रकार कक्षा I से V तक पढाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त अभ्यर्थी को दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 06 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा, उक्त छः माह का प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त ही नियमानुसार वार्षिक वेतनवृद्धि देय होगी। निर्धारित अर्हतायें पूर्ण न किये जाने की दशा में सेवा समाप्त कर दी जायेगी। नियुक्त अभ्यर्थियों के मूल शैक्षिक अभिलेखों एवं जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन तथा वैधता सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गमन करने वाली संस्थाओं से कराया जायेगा। सत्यापन में भिन्नता पाये जाने अथवा प्रमाण पत्रों के फर्जी पाये जाने की दशा में अभ्यर्थी की नियुक्ति तत्काल निरस्त कर दी जायेगी तथा सम्बन्धित अध्यापक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए विधिक कार्यवाही की जायेगी। नव नियुक्त अध्यापक/अध्यापिका को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है। नियुक्त अध्यापक/अध्यापिका को उनके आवंटित विद्यालय में 10 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में सम्बन्धित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	गृह जनपद	जन्मतिथि	जाति	आवंटित विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नीलम रतूडी	स्व0 श्री ज्ञान प्रकाश शर्मा	देहरादून	07-05-88	GEN	रा0प्रा0वि0 रत्नौ मल्ला	थोलधार	रिक्त पद के प्रति
2	आरती कण्डवाल	श्री दिगम्बर दत्त बलोधी	पौडी गढवाल	10-03-88	GEN	रा0प्रा0वि0 धाली	भिलगना	रिक्त पद के प्रति
3	सुरेन्द्र सिंह राणा	श्री नागेन्द्र सिंह राणा	उत्तरकाशी	01-05-78	OBC	रा0प्रा0वि0 बगौद	चम्बा	रिक्त पद के प्रति
4	सोनिवा वशिष्ठ	श्री राजपाल वशिष्ठ	हरिद्वार	30-11-85	OBC	रा0प्रा0वि0 कण्डारगांव	भिलगना	रिक्त पद के प्रति
5	दिनेश चन्द्र	श्री शम्भू प्रसाद	चमोली	15-08-78	GEN	रा0प्रा0वि0 बच्छणगांव	भिलगना	रिक्त पद के प्रति
6	अरुणा काला	श्री जनार्दन प्रसाद	पौडी गढवाल	12-01-79	GEN	रा0प्रा0वि0 अन्धवालगांव	भिलगना	रिक्त पद के प्रति
7	नेहा रानी	श्री रमेश चन्द्र	देहरादून	23-03-84	SC	रा0प्रा0वि0 मल्डगांव	भिलगना	रिक्त पद के प्रति

(अनी) 
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.)
टिहरी गढवाल, नई टिहरी।

पृ.सं.प्रा.शि.-2/572-80/ चतुर्थ प्रतीक्षा सूची/नियुक्ति/2022-23 दिनांक उक्तवत ।
प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर शिक्षा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी नई टिहरी/घनसाली, टि0ग0।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
7. सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी को इस आशय से कि वे अपने विकासखण्ड से सम्बन्धित नियुक्त अध्यापक/अध्यापिका के समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण, जाति प्रमाण पत्र व अन्य प्रमाण-पत्रों का सत्यापन तथा उनकी वैधता दो वर्ष के परिवीक्षा काल के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र निर्गत करने वाली संस्थाओं/कार्यालय से अनिवार्य रूप से करवाने के उपरान्त सत्यापित प्रमाण-पत्रों का विवरण इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
8. प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका सम्बन्धित विद्यालय।
9. सम्बन्धित अध्यापक को इस आशय के साथ कि अपने शैक्षिक प्रमाण पत्रों, प्रशिक्षण योग्यता प्रमाण पत्र, टी.ई.टी.प्रथम उत्तीर्ण, आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र एवं स्वस्थता प्रमाण पत्र के दो-दो सैट सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कर उप शिक्षा अधिकारी की अनुमति के उपरान्त ही सम्बन्धित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर उक्त अभिलेखों का एक सैट विद्यालय में जमा करने होंगे। प्रमाण पत्रों में भिन्नता पाये जाने अथवा त्रुटि पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी। निर्धारित समायान्तर्गत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
10. कार्यालय गार्ड फाईल।

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.)
टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।